

नाम न्यायालय **उपखण्ड अधिकारी** **सीताराम का** **फर्द अहकाम**
 विराटनगर (जयपुर) **बनाम** **तीन (तीन) कांरा**
 केस संख्या **67/20/8** **प्रार्थनापत्र**

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|-------------|---------------------------|--|-------------|
| | 12/1-20 | <p>वकुलाप उपा P.O. ला. कर में फर्द है गत आदेश की प्रमाण में दिनांक 17/12/20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">प्रस्तुतकार उप-खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p> <p>17/12-20 वकुलाप उपा P.O. ला. उपा कार्य में प्राप्त है गत आदेश की प्रमाण में दिनांक 4-2-21 को पेश हो।</p> | |
| 042-21 | | <p>वकुलाप उपा/ वरुण प्रार्थनापत्र सुनी गयी - धुंकि प्रमाण में दिनांक 04-9-18 को अन्तिम अस्थापित निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया है। अतः उपपक्षों को नार्कसल दुरुवाद प्रमाण में अस्थापित निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे भूमि खा. नं. 1235/0-14, 1236/0-16 एवं उनके ग्राम पापड़ी तहसील विराटनगर में गौंके पर कोई निर्माण आदि न करे। फ्लावली जैसल बुगा (देका) दायित्व दफ्तर हो नम्बर से काम होते हम किता दावा रहे।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p> | |